

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) पंजीकृत कार्यालय :- द फेयरवे, भू एवं प्रथम तल, सर्वे नं 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोन्पुर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के समीप, छत्तापड़वा, बैंगलोर-560071.

केन्द्रिय शाखा कार्यालय :- 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

सर्पोरेटि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

जबकि आप अर्थात् निम्नलिखित उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटर्स तथा बंधककर्ताओं ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किए थे। आप सभी के द्वारा की गयी सूचक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाता को अनियमितता परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जबकि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अधिनियम के अंतर्गत एक प्रत्यूत ऋणदाता के रूप में, तथा प्रत्यूत हिस् (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें निम्न स्तंभ सं. 2 में वर्णितानुसार उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं को, सूचनाओं में अंकित राशि का राशि पर आकलित मावी ब्याज के साथ, सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था, परंतु विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को सूचनामें सर्व/प्राप्त नहीं हो सकी।

Table with 4 columns: क्र.सं., उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता के नाम, ऋण खाता सं. एवं ऋण राशि, प्रवर्तित की जानेवाली प्रत्यूत के विवरण, एनपीए की तिथि एवं मांग सूचना तिथि, देयताएं रु. में/के अनुसार

अतः उपरोक्त स्तंभ सं. 2 में वर्णितानुसार उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर एवं बंधककर्ता को सूचित किया जाता है और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिवसों के अंदर, उपरोक्त स्तंभ सं. 6 में निर्दिष्टानुसार कुल राशि का भुगतान करें, क्योंकि उक्त राशि को उपरोक्त स्तंभ सं. 6 में निर्दिष्ट तिथि के अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भुगतान की तिथि तक भुगतानयोग्य कुल राशि का मावी ब्याज एवं अन्य राशियों के साथ भुगतान नहीं किया जाता है तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड उपर्युक्त स्तंभ सं. 4 में विवरणितानुसार संपत्तियों पर प्रत्यूत हिस् के प्रवर्तन हेतु उचित कार्यवाही करने को बाध्य-विश्रा होगी। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन, विधि-व्यवस्था (ली) के अंतर्गत उक्त फाइनेंसियल से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं के विरुद्ध जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पास उपस्था ऐसे अधिकारों एवं उपायों के पूर्वाग्रह के बिना प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है कि इस बिंदु पर ध्यान लगाया कि उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, आप पर प्रतिक्रिया/निवेश लाया जाता है कि आप प्रत्यूत ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त प्रत्यूत की निस्तारण या संव्यवहार नहीं कर सकते अथवा प्रत्यूत परिसंपत्ति का विक्रम, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकते।

दिनांक : 02-12-2023, स्थान : रजमुनाबाग, हस्ता/प्राधिकृत अधिकारी, कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

PUBLIC ANNOUNCEMENT for KROSS LIMITED. Includes QR code, company logo, and detailed text about the IPO process, including the offer size, price band, and application details.

OUR PROMOTERS: SUDHIR RAI, ANITA RAI, SUMEET RAI AND KUNAL RAI

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 5000.00 MILLION ("OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 2,500.00 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES (THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹ 2,500.00 MILLION (THE "OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,680.00 MILLION BY SUDHIR RAI, AND UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 820.00 MILLION BY ANITA RAI (THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS").

A PRE-IPO PLACEMENT OF SPECIFIED SECURITIES MAY BE UNDERTAKEN BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, FOR UP TO ₹ 500.00 MILLION. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE COMPLETED PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE FRESH ISSUE SIZE WILL BE REDUCED TO THE EXTENT OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT, SUBJECT TO THE FRESH ISSUE COMPLYING WITH RULE 192(B)(2) OF THE SCRR.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 5 EACH. THE PRICE BAND, AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●], AN ENGLISH NATIONAL NEWSPAPER, ALL EDITIONS OF [●], A HINDI NATIONAL NEWSPAPER (HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF JHARKHAND WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES, IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), and such portion, "QIB Portion" provided that our Company may, in consultation with the BRLM, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 20.00 million and up to ₹ 1.00 million; and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 1.00 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders. Further, not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIBs") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Accounts and UPI ID in case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCRS or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, please refer to the section titled "Offer Procedure" beginning on page 358 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on November 30, 2023. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively, the website of the Company at www.krosslimited.com and the website of Equirus Capital Private Limited (collectively, the "BRLM") at www.equirus.com. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI, with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments in relation to the Offer to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM at their respective addresses mentioned below, on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and Bidders should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Bidders are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, Bidders must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have neither been recommended, nor approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the Bidders is invited to "Risk Factors" beginning on page 27 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

For details of the share capital, capital structure and the names of the signatories to the memorandum of association of our Company and the number of shares of our Company subscribed by them see "Capital Structure" beginning on page 87 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the memorandum of association, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 215 of the DRHP.

Table with 2 columns: BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER (Equirus) and REGISTRAR TO THE OFFER (KFintech). Includes contact details for both entities.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For KROSS LIMITED On behalf of the Board of Directors Sd/- Debolina Karmakar Company Secretary and Compliance Officer

KROSS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on November 30, 2023. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, the website of the Company at www.krosslimited.com and the website of the BRLM i.e. Equirus Capital Private Limited at www.equirus.com. Bidders should note that an investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled "Risk Factors" on page 27 of the DRHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Adfactors 456

(यह प्रस्ताव या अग्रव्यय रूप में भारत के बाहर, केवल सूचना के उद्देश्य से एक सार्वजनिक उद्घोषणा है, ना कि कोई प्रस्ताव प्रत्यक्ष और ना ही यह प्रकाशन अथवा वितरण के लिए है।)

INVENTURE GROWTH AND SECURITIES LIMITED. Includes company logo, name, and contact information for the IPO process.

इन्वेचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड को मूल रूप में 22 जून 1995 को कंपनी रजिस्ट्रार, मुंबई के साथ कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत 'इन्वेचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड' के नाम एवं शैली के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निर्माणीकृत किया गया था। हमें कंपनी रजिस्ट्रार, मुंबई द्वारा निर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र दिनांकित 22 जून 1995 प्राप्त हुआ। कंपनी ने जुलाई 2011 में अपनी इक्विटी पूंजी का प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव रखा। कंपनी की इक्विटी पूंजी भारत में बीएसई एक्स पर सूचीबद्ध है।

पंजीकृत कार्यालय : 201, द्वितीय तल, विराज टॉवर, लैंडमार्क के समीप, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, अंधेरी - पूर्व, मुंबई - 400069, महाराष्ट्र, भारत. दूरभाष : +91 - 22-71148500/600. वेबसाइट : www.inventuregrowth.com ई-मेल : cs@inventuregrowth.com

संपर्क व्यक्ति : सुशीला अशोक मिश्रा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी. हमाराई कपडों के प्रवर्तक : श्री कांजी बसुआई रांता

इश्यु अप टु [.] /- इक्विटी शेयर्स विंद ए फेस वैल्यू ऑफ रु. 1/- इंच ("राइड्स इक्विटी शेयर्स") फौर केश एट ए प्राइस ऑफ रु. [.] /- पर राइड्स इक्विटी शेयर (इन्क्लूडिंग ए प्रीमियम ऑफ रु. [.] पर राइड्स इक्विटी शेयर) फौर एन अमाउंट एग्रीमेंटिड अपटु रु. 4,900.00 लाख ऑन राइड्स बैसिस इन् द रेडो ऑफ रु. [.] राइड्स इक्विटी शेयर्स फौर एचरी रु. [.] फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाइ द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑन द रिक्तों डेट, आईईई रु. [.] द इश्यु प्राइस इंस रु. [.] टाइट्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द राइड्स इक्विटी शेयर्स

यह सार्वजनिक उद्घोषणा संशोधितानुसार ("सेबी आईसीडीआर विनियमवली") के अनुरूप भारतीय प्रत्यूत एवं विनियम बोर्ड (पूँजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गतन) के विनियम 72(2) के प्रावधानों के अनुपालन में की जा रही है कि इन्वेचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड अपेक्षित अनुमोदन, बाजार दर्शाओं एवं अन्य विचार-विमर्शों के अंतर्गत राइड्स आकार पर अपने इक्विटी शेयरधारकों के लिये इक्विटी शेयर्स का एक इश्यु निकालने का प्रस्ताव दे रही है तथा उसने इस संबंध में बीएसई लिमिटेड (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के पास 30 नवंबर 2023 को प्रस्ताव का ड्राफ्ट पत्र ("डीएलओएफ") प्रस्तुत कर दिया है। कृपि इश्यु का आकार 5000 लाख से कम है, अतएव सेबी (आईसीडीआर) विनियमवली के अनुसार, डीएलओएफ को भारतीय प्रत्यूत एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ना ही सेबी डीएलओएफ पर कोई अवलोकन निर्गत करेगी।

सेबी आईसीडीआर विनियमवली के विनियम 72(1) के अनुसार, बीएसई एवं एनएसई के पास प्रस्तुत किया गया डीएलओएफ जो है वह सार्वजनिक टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए खुला है। डीएलओएफ को कंपनी की वेबसाइट, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध होते हैं, अर्थात् बीएसई www.bseindia.com पर एवं एनएसई www.nseindia.com पर, कंपनी की वेबसाइट अर्थात् https://www.inventuregrowth.com/ पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वसाधारण को एनएसई डीएलओएफ में किए गए प्रकटीकरण के संबंध में बीएसई या एनएसई के पास प्रस्तुत डीएलओएफ पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए निर्मित किया जाता है। जनता से अनुरोध है कि वे टिप्पणियों की एक प्रति बीएसई एवं एनएसई तथा कंपनी को यहां हमसे निम्न तालिका में वर्णित उनके संबद्ध पते पर भेजें। सभी टिप्पणियां कंपनी को 23 दिसंबर 2023 को सायं 05:00 बजे तक अथवा इससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए।

यह उद्घोषणा भारत में प्रकाशन के लिए तैयार की गई है और इसे किसी अन्य क्षेत्राधिकार में जारी नहीं किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि डीएलओएफ का वितरण और भारत के बाहर कृपया 'न्यायक्षेत्रों' में व्यक्तिगत को अधिकार के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना उन 'न्यायक्षेत्रों' में प्रवर्तित कानूनी आवश्यकताओं द्वारा प्रभावित हो सकता है। तदनुसार, कोई भी व्यक्ति जो राइड्स एंटाइटेल्मेंट या राइड्स इक्विटी शेयर्स को प्राप्त करता है, उसके संबंध में माना जायेगा कि उसने घोषित, वांटेड कर लिया है और सहमति दे दी है कि राइड्स इक्विटी शेयर्स या राइड्स एंटाइटेल्मेंट्स की सदस्यता के समय, ऐसा व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में और/या प्रत्यूतित क्षेत्राधिकार में नहीं है और नहीं होगा। कंपनी के राइड्स इक्विटी शेयर संयुक्त राज्य प्रत्यूतित अधिनियम 1933, संशोधितानुसार ("प्रत्यूतित अधिनियम") के तहत या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में, जिसमें प्रस्ताव देने जारी करने एवं अपने अधिकार क्षेत्रों के अंदर और/या अपने नागरिकों हेतु राइड्स इक्विटी शेयर्स आर्बिट्र करके के संबंध में कोई अन्य प्रतिक्रिया है, पंजीकृत नहीं किए गए हैं और ना ही पंजीकृत किए जाएंगे। डीएलओएफ जिस प्रस्ताव से संबंधित है, वह किसी भी परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत के अलावा किसी अन्य क्षेत्राधिकार में विद्यो है कि लिए किसी भी राइड्स इक्विटी शेयर या राइड्स एंटाइटेल्मेंट का प्रस्ताव देने अथवा उसमें उक्त किसी भी राइड्स इक्विटी शेयर्स या राइड्स एंटाइटेल्मेंट्स को खरीदने के आग्रह के रूप में नहीं है, और किसी भी परिस्थिति में नहीं माना जाना चाहिए।

इक्विटी एवं इक्विटी से संबंधित प्रत्यूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को इस इश्यु में कोई भी फंड तक निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपने निवेश को खाने का जोखिम नहीं उठा सकते। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इस इश्यु में निवेश निर्णय लेने से पहले जोखिम कारकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निवेश निर्णय लेने के लिए, निवेशकों को हमारी कंपनी और इसमें शामिल जोखिमों सहित भूरे की अपनी जांच पर निर्भर करना चाहिए। राइड्स इक्विटी शेयर्स की सेबी द्वारा अनुसंधान या अनुमोदन नहीं किया गया है और ना ही सेबी इस डीएलओएफ की सटीकता या पर्यायता की गारंटी देता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इश्यु में निवेश करने से पहले डीएलओएफ के पृष्ठ 18 पर शुरू होने वाले "जोखिम कारकों" को देखें।

टिप्पणी : यहां इसमें उपयोग किए गए और विशेष रूप से परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का मूल अर्थ होगा जो उन्हें डीएलओएफ में बताया गया है।

Table with 3 columns: इश्यु के रजिस्ट्रार, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, इश्यु के कानूनी सलाहकार. Includes contact details for Inventure, Debolina Karmakar, and Amruta Girshankar.

दिनांक : 30 नवंबर, 2023 स्थान : मुंबई कृते इन्वेचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, अर्थात् कर्मल की ओर से हस्ता/प्राधिकृत अधिकारी, श्री कांजी रांता अग्रव्य एवं एचडी

पंजाब नैशनल बैंक Punjab national bank कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) (नियम-8(1))

जबकि अग्रव्यवस्थायी पंजाब नैशनल बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्यूतितकरता तथा वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रत्यूतित हिस् का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) के तहत प्रत्यूतित निवम (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाने के सामने उपलब्धित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की गयी थी, जिसमें उक्त नोटिस की प्रांति की तारीख से 60 दिन के अंदर बंधक के भुगतान करने की मांग की गयी थी। ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर द्वारा राशि के चुकाने का कर सकते पर एतु द्वारा कृती व आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रत्यूतित निवम 8 द्वारा प्रवर्तन अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा अन्य जनता को सामान्य तौर पर सूचित किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति के साथ कोई सीधा न करे और इस सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सीधा निधे विधि राशि और ब्याज तथा अन्य खर्चों के लिये पंजाब नैशनल बैंक, सम्पत्ति शाखा के प्रयाओं के अधीन होगा। "उधारकर्ता(ओं) का ध्यान प्रत्यूतित आस्तियों के मोहन के लिए उपन्यय सस्य के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

Table with 6 columns: क्र.सं., शाखा एवं ऋणी/गारंटर के नाम, बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण, मांग नोटिस की तिथि, कब्जे की तिथि एवं कब्जे का प्रकार, बकाया राशि. Lists various properties and assets being auctioned by Punjab National Bank.

दिनांक- 01.12.2023 स्थान- बिजनौर प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक